शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के संवैधानिक उपाय

प्रदीप कुमार (शोधार्थी)
डॉ.ईश्वरी प्रसाद वैरवा (निर्देशक)
विधि विभाग
ओ.पी.जे.एस. विश्विद्यालय
चुरू, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

किसी भी समाज और देश के विकास का महत्वपूर्ण पैमाना स्त्रियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार होता है। आज भी भारतीय समाज स्त्रियों के प्रति अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। आजादी के पहले पुनर्जागरणकाल में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये गए। महिलाओं द्वारा स्वतन्त्रता के लिए किये गए प्रयासों ने उनके प्रति लोगों में सम्मान का भाव जाग्रत हुआ। आजादी के बाद स्त्रियों को सशक्त करने के लिए संविधान में अनेक कानूनी प्रावधान किये गए। इनमें परिस्थितियों के अनुसार निरंतर सुधार किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के संवैधानिक उपायों पर विचार किया गया है।

भूमिका

दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जहां महिलाएं हिंसा की शिकार न होती हों। सभी क्षेत्रों में तरक्की करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि स्त्रियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह उन्हें अप्राप्त है। यद्यपि अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों से अधिक अधिकार प्राप्त है, इसके बाद भी वहां महिलाएं हिंसा का शिकार होती रहती हैं। यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पडा है। विभिन्न समाजों में प्रचलित परम्पराओं और रुढियों ने स्त्रियों के समुचित विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की हैं। संविधान में महिलाओं के हितों के पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं. परन्तु जागरूकता के अभाव और सामाजिक बन्धनों के कारण वे उनके लाभ से वंचित हैं। आज महिलाएं कार्यस्थल और घरेलु हिंसा से सर्वाधिक पीड़ित हैं। उनका प्रत्येक स्तर पर शोषण किया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वाली पट्टी में जो स्त्री विरोधी पूर्वाग्रह व हिंसा के लिए बदनाम रही है। इसकी सांस्कृतिक वजहें क्या-क्या हैं, उन पर अब तक कोई अध्ययन व अनुसंधान नहीं हुआ है। ऐसे अनुसंधान की बहुत बड़ी जरूरत है। आजकल केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों में स्त्रियाँ घरेलू हिंसा का शिकार है। रोजाना अनगिनत स्त्रियों से उनके पतियों तथा परिजनों द्वारा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

घरेलू हिंसा का कोई एक कारण नहीं है। डॉ. वेनूगोपाल जज महोदय ने अध्ययन में पाया कि अनेक कामकाजी स्त्रियों का अपनी आय पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। प्रतिमाह जितना वेतन उन्हें मिलता है वह पति द्वारा धमकाकर या अन्य किसी दबाव से उनसे ले लिया जाता है। उन्हें घर का सारा काम करने के

साथ-साथ व्यवसाय के दायित्वों को भी पूरा करना होता है।

भारत में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु नियम बनाए गए हैं तथा विभिन्न महिला संगठन भी इस मामले में अपनी आवाज उठाते रहते हैं। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएँ, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, बुजुर्ग स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएँ आदि हैं।

दहेज हत्याएँ - भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है इसलिए दहेज की समस्या विकराल होती जा रही है। आए दिन समाचारों में वधुओं को जलाने की खबरें प्रकाशित होती हैं। इसके सम्बन्ध में कठोर कानून बनाए गए फिर भी घटनाएँ होती रहती हैं। राम आहूजा ने अपने आनुभाविक अध्ययन में दहेज हत्याओं के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाले हैं -

(i) मध्यम वर्ग की स्त्रियों में दहेज हत्याएँ निम्न तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों की तुलना में कहीं अधिक होती है।

(ii) सत्तर प्रतिशत दहेज हत्याओं की शिकार स्त्रियाँ 21 से 24 वर्ष की आयु की होती हैं।

(iii) दहेज हत्या एक उच्च जाति प्रघटना है न कि निम्न जाति की समस्या।

(iv) दहेज हत्या से पहले युवा दुल्हनों का अनेक प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है।

(v) समाजशास्त्रीय दृष्टि से पर्यावरणीय दबाव अथवा सामाजिक तनाव दहेज हत्याओं का प्रेरक कारक है। पति का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व, प्रभुताशाली प्रकृति तथा व्यक्तित्व में असामंजस्य प्रमुख उत्तरदायी, कारक है।

(vi) दुल्हन को जलाने की भूमिका में परिवार की रचना प्रमुख भूमिका निभाती है।

(vii) दुल्हन की शिक्षा तथा उसकी दहेज तथा हत्या में कोई सह-सम्बन्ध नहीं पाया जाता है।

भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार - न्यायमूर्ति डॉ. पी॰ वेनूगोपाल ने भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख कारक बताया है। पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उस पर शक करता है। पत्नी की इच्छा के विरूद्ध उससे सम्बन्ध स्थापित करता है तो भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत आता है।

पत्नी को पीटना - घरों में पत्नी को पीटा जाता है। भारत में ऐसी घटनाएँ होती रहती है। नशे में ही अधिकतर ये घटनाएँ होती है। राम आहूजा ने निम्न विश्लेषण किया है -

(i)25 वर्ष से कम आयु की पत्नियाँ पति द्वारा मार-पिटाई का अधिक शिकार होती हैं।

(ii) जो पत्नियाँ अपने पतियों से अधिक छोटी होती हैं वहाँ मार पिटाई की सम्भावना अधिक होती है।

(iii) इस प्रकार की घटनाओं का शिकार स्त्रियाँ ज्यादातर निम्न आय वाले परिवारों की होती हैं।

(iv) यौनिक असामंजस्य, भावात्मक, अशान्ति, पति का अहम्, पति की नशाखोरी, ईर्ष्या, मारपीट के प्रमुख कारण हैं।

(v) यद्यपि अशिक्षित स्त्रियों से ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर होता है फिर भी शिक्षा तथा मारपीट का कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है।

(vi) उन पत्नियों को ज्यादा मारपीट झेलनी पड़ती है जिनके पति शराब पीते हैं।

विधवाओं पर अत्याचार - स्त्री के लिए वैधव्य बहुत ही भयंकर शब्द है। सुहागन होना उसके लिए सौभाग्य की बात है। विधवा से संयमित व्यवहार की आशा की जाती है। परन्तु विधवाओं

पर भी हिंसा की जाती है। राम आहूजा ने निम्न विश्लेषण किए हैं -

(i) सामान्यतः विधवाओं को पति के व्यापार, बैंक, खाते, जीवन बीमा पालिसियों के बारे में कम ज्ञान होता है जिसके कारण वे पति पक्ष के सदस्यों के धोखे में आ जाती हैं, जो उसे मृत पतियों की सम्पत्ति नहीं देना चाहते।

(ii) मध्य आयु की विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान व शोषण होता है।

(iii) विधवाओं पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति पति पक्ष के ही सदस्य होते हैं।

(iv) शोषण के तीन प्रेरकों (शक्ति, सम्पत्ति, यौन शोषण) अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि शक्ति दोनों मध्यम और निम्न में विधवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

(v) यद्यपि सास का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व विधवाओं के शोषण में प्रमुख कारक हैं, तथापि विधवाओं की निष्क्रियता व बुजदिली उनके शोषण में महत्वपूर्ण है।

(vi) आयु-शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण रूप से सह-सम्बन्धित हैं परन्तु परिवार की रचना तथा आकार का कोई सह-सम्बन्ध नहीं है।

आजादी के बाद कई एक उपक्रमों और दावेदारियों की बदौलत दलितों और आदिवासियों का सशक्तीकरण एक हद तक हुआ मगर स्त्री सशक्तीकरण के कार्यभार केा पूरा करना अब भी बाकी है। हमें हर स्तर पर पंचायत से लेकर विधानसभा व संसद तक लैंगिक समानता के साथ-साथ स्त्री सशक्तीकरण के लिए पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी। पुलिस बल में महिलाओं की भारी तादाद में तैनाती करनी होगी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में लैंगिक समतायुक्त अभिशासन पर विशेष ट्रेनिंग देनी होगी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकने के कानून (विशाखा निर्देशिका)

सर्वोच्च न्यायालय का विशाखा मामले में दिया गया फैसला मील का पत्थर बन गया है। इसके तहत न्यायालय ने सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को निर्देशित किया कि वे अपने यहां महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न रोकने और उनके निबटारे के लिए एक समिति का गठन करें, जिसमें महिलाओं का अनुपात अधिक हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यौन उत्पीड़न को परिभाषित भी किया, जिसके अंतर्गत :

- शारीरिक सम्पर्क और इसके लिए की जाने वाली कोशिश
- यौन सम्पर्क के लिए की गई मांग या अनुरोध
- कामुक प्रतिक्रियाएं
- अश्लील चित्र दिखाना
- अन्य कोई भी अवांछित कामुक प्रकृति का शारीरिक, मौखिक और अ-मौखिक व्यवहार या आचरण

हालांकि इस परिभाषा के दायरे में आने वाले यौन उत्पीडन के मामलों के निबटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कोई समय सीमा नहीं तय की। दोष साबित होने पर दंड के प्रावधानों को भी समिति के ही विवेक पर छोड़ दिया।

इसके लगभग 16 साल बाद, 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की विदारक घटना और उसके विरूद्ध में उठ खड़े देश ने समूचे परिदृश्य को एकदम से बदल कर रख दिया। इसने महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा की तरफ पूरे अवाम का ध्यान खींचा और नजीजतन, यौन उत्पीड़न की परिभाषा को और

व्यापक करते हुए जुर्म की संगीनता के मुताबिक सख्त सजा के प्रावधान वाले कानून की जरूरत महसूस की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन

इस नये कानून में विशाखा मामले में यौन उत्पीड़न के पांच प्रकारों को बढ़ाते हुए निम्नलिखित आचरणों को भी शामिल किया गया :

- कार्यस्थल पर प्रकट या अप्रकट पक्षपातपूर्ण या हानिकारक वादे
- महिलाकर्मी की मौजूदा या भविष्य की हैसियत के बारे में प्रकट या अप्रकट दी गई धमकी
- महिलाकर्मियों के काम में अनुचित दखल अथवा कार्यस्थल के वातावरण में डर, शत्रुता और हमले के प्रति भय पैदा करना
- ऐसा अपमानजनक व्यवहार जिससे कि महिला सहकर्मियों की सेहत और उनकी सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़े।

अन्य प्रावधान

यह कानून जम्मू-कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू

इसके विस्तृत दायरे में असंगठित क्षेत्र को भी लाया गया

'कार्यस्थल' की परिभाषा को व्यापक करते हुए इसमें खेल संस्थान, स्टेडियम आदि को भी समाहित किया गया। यहां तक कि घरेलू कामगारों के लिए घरों तक को उनका कार्यस्थल माना गया

उन जगहों को भी 'कार्यस्थल' के रूप में परिभाषित किया गया, जहां कोई कर्मी अपने काम के सिलसिले में जाता है।

कार्यस्थलों पर यौन दुर्व्यवहार के मामलों के निबटारे के लिए दो संस्थाएं गठित करने का प्रावधान किया गया : एक नियोक्ता के लिए दूसरा, असंगठित क्षेत्रों में हस्तक्षेप के अधिकार के साथ एक जिला शिकायत समिति का गठन।

विशाखा निर्देशिका के विपरीत, इसे नये कानून में शिकायतों पर सुनवाई 90 दिनों के भीतर पूरी करने की ताकीद की गई है

मजबूत कानून कवच

तहलका के संस्थापक व सम्पादक तरूण तेजपाल पर उनके सहकर्मी के साथ बलात्कार के प्रयास का आरोप है। वहीं इसके पहले, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पर दो प्रशिक्षु महिला वकीलों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। दो नामी-गिरामी, शख्सियतों पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के इन दोनों मामलों ने मसले को बहस का विषय बना दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये घटनाएं 2013 के पहले हुई रहती तो इन पर सुनवाई विशाखा मामले में 13 अगस्त 1997 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई निर्देशिका के मुताबिक की जाती।

लेकिन माननीय न्यायालय ने तभी तय कर दिया था कि इसकी जगह कोई सक्षम कानून लेने के पहले तक ही विशाखा निर्देशिका के तहत मामलों को निबटारा किया जा सकेगा। चूंकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम और निबटान) कानून-2013 बन चुका है, लिहाजा, अब इसी के मुताबिक शिकायतों की सुनवाई और उसमें सजा का प्रावधान किया जा सकेगा। कानूनविदों की राय में नया कानून सम्पूर्ण और यौन दुर्व्यवहारों-उत्पीड़नों के विरूद्ध ज्यादा सख्त है।

महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा सिर्फ हमारे देशों की भी समस्या नहीं है वरन् यह अन्य देशों की भी समस्या है। वास्तव में

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिलाओं व लड़कियों को अपने जीवन में, हिंसा का सामना कन्या भ्रूण हत्या व शिक्षा की पर्याप्त सुविधा व पोषण न मिलने से लेकर बाल विवाह, पारिवारिक व्याभिचार एवं ऑनर किलिंग के रूप में करना पड़ता है। यह हिंसा दहेज संबंधी हत्या, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म यौन शोषण दुर्व्यवहार मानव व्याचार विधवाओं का निरादर व अपमान के रूप में हो सकती है। दुनिया भर में तीन में से एक महिला को अपने जीवन में यौन हिंसा का समाना करना पड़ता है। कुछ देशों में यह संख्या सत्तर प्रतिशत तक है।

आज हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं तथा यह जान चुके हैं कि नारी की उपेक्षा करके अपेक्षित विकास और प्रगति की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते हैं। पुरूष और नारी एक ही सिक्के के दो एवं समाज का विकास नारी एवं पुरूष दोनों पर ही निर्भर है। इसी संदर्भ में जानेटा काल का कथन है कि, "जब आप एक पुरूष को शिक्षित करते हैं, जब आप एक महिला को शिक्षित करते है तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।"

भारत सरकार ने 2001 ई. को महिला सशक्तिकारण वर्ष घोषित किया। समय-समय पर उनके हितों को सुरक्षित करने हेतु अनेक नियम भी बनाये है। उनके लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया हैं उनको हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं जैसे- कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना महिला स्वधारा योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, कन्या धन योजना आदि। इतना ही नहीं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में (1-8 पंचवर्षीय योजना तक) महिलाओं के कल्याण हेतु अनेक नीतियाँ भी निर्धारित की गयी है।

आज भी बाल-विवाह बेमेल-विवाह एवं बलात्कार होते है। इतना ही नहीं भयंकर गरीबी और अन्य मुसीबतों से दबी हुई महिलाओं की एक बड़ी संख्या को दैहिक शोषण हेतु विवश किया जाता है। ग्रामीण इलाके की प्रशिक्षित महिलाओं को जादू-टोने, टोटके एवं अन्य पाखण्डों के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। उनकी देह और आत्म पर उभरे खरोच आसानी से पहचाने और चिन्हित किये जा सकते हैं कुछ सम्प्रदायों में हर तीसरी महिला में से दो महिलाएँ पुरूषों द्वारा प्रताड़ित की जाती है।

आज बहुत सी महिलाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय का साधन होती है क्योंकि या तो वह घर का काम करती है। या कोई न कोई रोजगार चलाती है, जैसे- बाजार में जाकर चीजें बेचना या घरेलू कार्यों कर करना भवनों पर जाकर श्रमिक का कार्य करना आदि। हिंसा का शिकार होने या कई महीनों तक करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी आय भी प्रभावित होती है जिसका सीधा प्रभाव उनके परिवार के भरण-पोषण पर पड़ता है।

इस प्रकार महिला हिंसा प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक आय को प्रभावित करती हैं। कभी-कभी तो अंग-भंग होने की स्थिति में वही महिला जो कल तक पूरे परिवार का बोझ उठाने में सक्षम थी, वह आज घर का काम करने में भी असमर्थ हो जाती है।

उदाहरण के लिए युगांडा में लगभग 12.5 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष महिला हिंसा के कारण लगभग 10 प्रतिशत महिलाओं का औसतन 11 कार्यदिवस का नुकसान होता है। इस स्थिति में वह परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित

होते हैं, जिनमें एक महिला अकेली या मुख्यतया रोटी कमाने वाली होती है। बांग्लादेश में दो तिहाई से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि घरेलू हिंसा से एक सदस्य के काम पर औसतन 5 से 4.5 डालर प्रतिमाह का असर पड़ता है।

महिला हिंसा का बच्चों पर प्रभाव

जब महिला पति की हिंसा का शिकार बच्चों के सामने होती है और बार-बार यही हिंसा दोहराई जाती हैं, इसकी सीधी छाप बच्चों के कोमल मन पर पड़ती है। कभी-कभी यह छाप बच्चों को असामान्य बना देती है। बच्चा बहुत-सी कुण्ठाओं, हीन-भावनाओं के शिकार हो जाते हैं जो आगे चलकर उनके भावी जीवन को प्रभावित करती है या फिर वही लड़के आगे चलकर फिर से महिला हिंसा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कभी-कभी तो महिला हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और यहाँ तक कि बच्चे मानसिक रोगी बन जाते हैं। इस प्रकार हिंसा का यह कुचक्र चलता रहा है। यही कुचक्र समुदाय और समाज को दूषित करता है।

महिला हिंसा के कारण

महिला की इस दयनीय एवं शोचनीय स्थिति को देखकर प्रश्न उठता है कि वह नारी जो कि परिवार एवं समाज की रीढ़ है जिसके बिना परिवार की कल्पना करना भी असम्भव है, कब तक प्रताड़ित होती रहेगी। वे कौन-सी महिलाएँ है जिनको प्रताड़ित किया जाता है। इस महिला हिंसा के पीछे मूल कारण क्या है ? वह हिंसा क्यों सहती हैं ? क्यों वह हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है? उसे इस हिंसा के खिलाफ कब और कैसे छुटकारा मिलेगा ?

यह समाज-सुधारकों समाज वैज्ञानिक नीति-निर्धारकों व अन्य सभी के लिए एक चिंतन का विषय है। इसी संदर्भ में समाजशास्त्री डॉ. के भागवत का कथन है कि "जिस तरह हर तथ्य का कारण होता है, वैसे ही इसका भी है।" इसके कई कारण हैं-

1. महिला अपनी सोच एवं संस्कारों के कारण प्रताड़ित होती है क्योंकि हिन्दू संस्कृति में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। कभी न मिटने वाला जन्म-जन्मांतर का संबंध है। पति को परमेश्वर माना जाता है। पति को छोड़ना या उसका विरोध करना उसकी मानसिकता से परे है। उसकी संस्कृति में नहीं है। इसी संदर्भ में, सुभाषिनी अली सहगल का कथन है कि एक औरत जो डॉक्टर है परन्तु उसका पति अनपढ़ है, घरवालों ने झूठ बोल कर उसकी शादी तय कर दी थी। वह कमाती भी है और पिटती भी है। वह सुभाषिनी अली सहगल के पास आती है। जब उससे पूछा कि तुम अलग क्यों नहीं हो जाती है तो जवाब मिलता है कि समाज क्या कहेगा ?

2. हमारा समाज शुरू से ही पुरूष प्रधान समाज रहा है, जहाँ पर शुरू से ही औरत को पुरूष की धरोहर व सम्पत्ति के रूप में देखा गया है। ऐसे में पुरूष हिंसा करना अपना अधिकार समझता है। इसमें परिवार के अन्य सदस्य, समाज ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते है।

3. हिंसा का सम्बन्ध मानसिकता से भी है। यह मानसिकता तीन प्रकार की होती है :

(i) समाज की मानसिकता

(ii) पुरूषों की मानसिकता

(iii)स्वयं महिलाओं की मानसिकता

इसके लिए आवश्यक हैं कि महिलाएँ शोषण के इस कुचक्र को समझें और बाहर निकलने का रास्ता ढूँढें। इस संदर्भ में काफी हद तक महिलाओं की पुरूषवादी मानसिकता भी उनके प्रति होने वाली हिंसा के लिए उत्तरदायी है। एक

तरफ तो महिला घर में हिंसा का शिकार होती है एवं वहीं दूसरी तरफ वह घरों में पुरूषों के गलत फैसलों को भी अपनी सहमति देकर सही ठहराती हैं। इसके लिए महिलाओं को दोहरे स्तर की लड़ाई लड़नी होगी। पहली लड़ाई तो खुद से और दूसरी पुरूष प्रधान समाज से।

निष्कर्ष

सच तो यह है कि अपनी (महिलाओं की) सोच के साथ-साथ पुरूषों की मानसिकता को बदलना होगा। उनको भी यह समझना होगा कि उनकी तरह महिलाओं की भी इज्जत है, उनका भी आत्मसम्मान है। वह उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना कि पुरूषों को कोई भी परिवार, समुदाय, समाज या देश की तरक्की हेतु महिलाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पुरूष। यह तथ्य महिलाएँ साबित कर चुकी है और अब पुरूषों को भी यह समझ लेना चाहिए।

इन्हीं मानसिकताओं के कारण हमारे समाज में, महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानून, उनमें बढ़ती शिक्षा, उनकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता भी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को कम नहीं कर पा रही है। प्रबल सामाजिक-सांस्कृतिक उद्वेलन, जवाबदेह व लोकतांत्रिक अभिशासन, मजबूत न्याय व्यवस्था और त्वरित व सुचिंतित न्याय निर्धारण ही बलात्कार और हत्या के घृणित रोग की रोगथाम कर सकता है। आजादी के बाद कई एक उपक्रमों और दावेदारियों की बदौलत दलितों और आदिवासियों का सशक्तिकरण एक हद तक मगर स्त्री सशक्तिकरण के कार्यभार को पूरा करना अब भी बाकी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. राम आहूजा, महिलाओं के प्रति हिंसा, रावत पब्लिकेशन, 1998
2. ए.पीढ़र बरली, आधी दुनिया के साथ अत्याचार, दैनिक जागरण, दिसम्बर 7, पृष्ठ 13
3. कमलेश जैन, कानून का माइंड सैट, राष्ट्रीय सहारा, शनिवार, 5 जनवरी, 2013
4. रजनी कुमार, परिवार शिक्षा और मूल्य, राष्ट्रीय सहारा, शनिवार, 5 जनवरी, 2013
5. राजकुमार, अनुभव की आँच से तपता सिद्धांत, हिन्दुस्तान, 6 मई, 2007
6. नवेदिता मेनन, छिछौरेपन से त्रस्त कामकाजी महिलाएँ, राष्ट्रीय सहारा, शनिवार, 5 जनवरी, 2013

7 Vishaka v/s State of Rajasthan (AIR 1997 SC 3011)

8 Anand, A.S., Justice fow Women, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

9 Delhi Domestic Working Women's Forum v/s VOI (1995(i) SCC 141).